मध्य प्रदेश को पैट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाना

920. **श्री राधाकिशन मालवीय :** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री 13 अप्रैल, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 42 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि 1986-87 के वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश की डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कितनी मांग थी और क्या उनकी मांग के अनुसार आवंटन कर दिया गया है

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : जैसा कि अतारांकित प्रश्न सं० 42 के उत्तर में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का निर्धारण पिछले अनुक्रम के आधार पर उसमें उपयुक्त वृद्धि देकर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशेष अनुरोधों पर सूखा बाढ़, एल०पी०जी०/सोफ्ट कोक की कमी आदि जैसी विशिष्ट स्थितियों से निपटने के लिये तदर्थ आधार पर भी तेल दिया जाता है। इस आधार पर 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश को 22915 से 27552 मी० टन प्रति माह के बीच आवंटन किया गया जबकि राज्य सरकार की मांग उस वर्ष में 25000 से 30000 मी टन० प्रति माह के बीच थी। 1986-87 के दौरान कुल 326625 मी० टन मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया, इसमें वर्ष के दौरान राज्य सरकार के अनुरोध पर तदर्थ आधार पर दिया गया 35666 मी० टन तेल भी शामिल है।

जैसा कि उपर्युक्त सन्दर्भित प्रश्न के उत्तर में भी कहा गया था कि पैट्रोल और डीजल का आवंटन नहीं किया जाता। ये उत्पाद मुक्त बिक्री के आधार पर उपलब्ध हैं और जहां तक सम्भव होता है, तेल कम्पनियां उनकी सारी मांगों को पूरा कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस की नयी एजेंसियों का खोला जाना

921. **श्री राधाकिशन मालवीय :**

श्री धूलेश्वर मीणा :

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां 1987-88 के वर्ष के दौरान गैस वितरण के लिये नयी एजेंसियां खोले जाने की संभावना हैं ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये खाना पकाने की गैस के वितरण हेतु आरक्षित एजेंसियां खोले जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) चूंकि एल०पी०जी० वितरणशिपों को चालू करना, विज्ञापन देना, तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन करना और सांविधिक अनुमति देने सहित विभिन्न कार्यों पर निर्भर करता है। अतः उन स्थानों के नामों को बताना सम्भव नहीं है, जहां 1987-88 के दौरान वितरणशिपें चालू हो जायेंगी।

1985-86 तथा 1986-87 की वार्षिक विपणन योजनाओं के अधीन मध्य प्रदेश में 38 वितरणशिपों की योजना थी इसमें 5 स्थान अनुसूचित जन-जाति के लिये तथा 4 स्थान अनुसूचित जाति के लिये शामिल हैं। उपर्युक्त निर्दिष्ट कारणों को देखते हुए यह स्पष्ट करना कि 1987-88 में किन स्थानों पर वितरणशिप खुल जायेंगीं सम्भव नहीं है।